



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय वन, वन्य जीव, संरक्षण-एन, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326693, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimcofrelko@gmail.com

पत्र सं० 8वीं/यू०पी०/०६/१०२/२०१९/एफ०सी०/५४१

दिनांक : 07.01.2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ,  
उत्तर प्रदेश।

**Online Proposal No. FP/UP/Road/39999/2019**

विषय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे० एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वनमृमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-1070/11-सी-FP/UP/Road/39999/2019, दिनांक-29.11.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दु पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें एवं अनुपालना राज्य सरकार के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compensatory Afforestation shall be submitted.
- 1- Since the user agency is State Government, as recommended by DFO: CA to be taken up on equivalent Non Forest Land (NFL) instead of degraded forest land. Accordingly raised CA scheme of plantation on 0.8156 ha. of NFL shall be submitted.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, हापुड़ एवं गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियंता, जोन-5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-1362 /11सी-FP/UP/Road/39999/दिनांक, लखनऊ, जनवरी 08, 2020

- प्रतिलिपि- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, हापुड़ एवं गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, जोन-5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय निदेशक को 08/01/2020 को प्रेषित  
पत्रांक 3398 / 141  
गाजियाबाद आदि 5 को उपरोक्त सूचना कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रभागीय निदेशक  
उ०प्र० लखनऊ  
गाजियाबाद